V-184
Cr. J.(H)

उज्र व सफाई मुलजिम नं.
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 दफा 255 व 256)

जुर्म पढ़कर सनाये व समझाये जाने पर मुलजिम ----------

बाप का नाम ---------- यह बयान करता है कि

वह चाहता है कि नीचे लिखे हुए / कोई भी ———————— मुस्तगीज से गवाह जिनकी/जिसकी गवाही है/हो चुकी, जिरह

के लिये फिर से बुलाये जाय/न बुलाये जाय.

अपनी सफाई देने के लिए कहे जाने पर वह कहता है कि–

फर्द जुर्म एक *
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898, दफा 221, 22 व 223)

मैं---------- मजिस्ट्रेट दर्जा ---------- इस तहरीर के जरिये तुम ---------- वल्द ---------- पर नीचे लिखे मुआफिक जुर्म लगाता हूँः–

कि तुमने तारीख ---------- माह ---------- सन् ---------- ई. के उसके करीब मुकाम ----------

और ऐसा करने से तुमने वह जुर्म किया जोकि दफा ----------

के अंदर सजा के काबिल है और जो मेरे अख्तियार में है। मै इस तहरीर के जरिये हुक्म देता हूँ कि तुम्हारी समाअत उपर लिखे जुर्म में की जाये।

(मुहर) मजिस्ट्रेट

. दो या अधिक जुर्मो के लिऐ देखे फॉर्म नं. 28, शेड्यूल 5, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सन् 1898

I-Ac--17

WITNESS BATTA CERTIFICATE

CERITFIIED THAT.....

Employed in the office of .....

appeared before me as a witness in an civil case is which Govermnet was a party/criminal case for .....days from..... to .....in his public capacity and that the amount noted below was remitted to the head of his office along with the summons, viz on account of -

	Rs. .....
(1) Travelling allowance	
(2) Subsistence allowance under the rules of the court.	
	.....
TOTAL,	.....

Date.....

The 19

Presiding Officer

[Note-Where no remittances can be made under the rule of the Court, the word 'Nil' may is written against (1) and (2) above, but the certificate ever in such cases required to check claims to travelling allowance.]

II-231
C.J.(H)

गवाह की गिरफ्तारी का वारन्ट

(सिविल प्रोसीजर कोड, सन् 1908 ई., आर्डर 16)

दीवानी मुकदमा नम्बर

अदालत जनाब ----------

---------- मुद्दई

---------- मुद्दालेह

बनाम बेलिफ अदालत

जो कि गवाह ----------

समन्स का हुक्म नहीं माना है

ने कायदेनुसार तामिल किये हुए ---------- इस लेख के जरिये तुम्हे

समन्स टालने के लिये छिपता रहता है

हुक्म दिया जाता है कि तुम उपर लिखें ----------को गिरफ्तार करो और अदालत के सामने हाजिर करो और यह भी हुक्म दिया जाता है कि तुम इस वारन्ट पर उसकी तामिली किस दिन और किस तरह की गई या तामिली न की गई हो तो उसका सबब लिखकर तारीख ---------- माह ----------सन् 20 को या उसके पहले वापिस करो, हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख ---------- माह ----------सन 20 को जारी किया गया.

(मोहर) **जज**

गिरफ्तारी वारंट

(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् 1898 ई. दफा 75 और 76)

अदालत ----------मजिस्ट्रेट ---------- दर्जा ----------

बनाम ----------

जोकि ---------- वल्द ----------

जाति ----------साकिन ---------- पर ----------

जुल्म का इल्जाम लगाया है कि–

इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो,

अगर वह अपनी ओर से रूपये ---------- का मुचलका लिखकर एक जामिन / दो जामिनों में से हर एक ----------

की रूपये ----------की जमानत इस बात की दे कि वह हमारे सामने तारीख ----------माह ----------सन् 20 ई. को हाजिर होगा और जब तक कि हम हाजिरी से माफ न कर दें.

तब तक ही इस तरह होता रहेगा तो उसे छोड़ दो ऐसा करने के न चूको.

हमारे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख.....माह.....सन् 20 को जारी किया गया.

मोहर

मजिस्ट्रेट

.....अगर जमानत मंजूर करना न हो तो इस हिस्से को काट दीजिये.

जेल वापिस भेजने बाबत वारन्ट
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सन् 1898 दफा 344)

अदालत साहब.....मुकाम.....

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब, जेल मुकाम.....

जोकि .....

.....उमर .....साल,

जात.....पेशा .....

पता .....है

मामले में जिस पर जुर्म दफा .....लगाया गया है

आज हुक्म हुआ है कि वह मामला तारीख .....माह..... सन् 20

ईसवी तक मुल्तबी रखा जाय।

इसलिये तुमको इस तहरीर के जरिये हुक्म दिया जाता है कि तुम मुलजिम मजकूर को अपनी हिरासत में रखो और उसको उपर लिखी हुई तारीख पर इस अदालत में हाजिर करो।

आज तारीख .....माह.....सन् 20..... ई.

मोहर

मजिस्ट्रेट

REQUISITION FOR RECORDS OF LOWER COURT

Office of the .....

No..... Dated the 20

To,

The .....

The undersigned requests the favour of immediate submission of records noted below :-

Judge

Description of Records

WARRANT OF COMITMENT TO IMPRISONMENT IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE

(The Code of Criminal Procedure 1898, Section 33)

In the Court of .....

To The Superintendent of the jail at.....

Whereas.....son of .....

aged.....caste.....address.....

.....

was convicted before me of the offence of .....

punishable under .....and was sentenced to a fine of Rs. .....and in default of payment of the fine to..... imprisonment for a term of .....

and whereas The entire fine ..... is still due and unpaid.
the sum of Rs. .....

You are hereby required to receive the said convict into your custody in the aforesaid Jail together with this warrant, and to detain him there in imprisonment until the .....day of .....20 ..... unless the unpaid fine aforesaid or any portion of it, be mean while realized or paid in which case the imprisonment will terminate as provided by the Indian Penal Code, section 68,69.

Dated the ..... day of .....20 .....

Seal

Magistrate

On recovery the fine should be credited into treasury.

Witness No.....for .....Deposition taken this .....day of .....20 Witness's apparentage .....States on affirmation/My name is.....
Son of .....Occupation.....
address.....

गवाह नम्बर.....की .....तरफ से शहादत आज तारीख .....माह.....सन्.....ई. को ली गई। गवाह करीब..... साल की उम्र का मालूम होता है।

हलफ से जवाब करता है। मेरा नाम.....
वल्द.....जात.....पेशा.....
पता.....

न्यायालय .....

दा. प्र. क्रमांक .....

राज्य विरूद्ध.....

पेशी दिनांक .....

थाना– .....

प्रारूप संख्या 33

साक्षी को समन

(धारा 61 और 244 देखिए)

प्रेषिती .....

.....

(स्थान का) .....नाम

मेरे समक्ष परिवाद दायर किया गया है कि .....

(पता) के .....(अभियुक्त का नाम) ने .....(समय एवं स्थान सहित अपराध थोडें में लिखिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है)और मुझे यह प्रतीत होता है कि संभाव्य है कि आप अभियोजन के लिये तात्विक साक्ष्य दें या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करें।

इसलिये आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त परिवाद के विषया से संबंद्ध आप जो कुछ जानते हो उसका अभिसाक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को दिन में दस बजे हाजिर हों और न्यायालय की इजाजत के बिना न्यायसंगत कारण के बिना आपने उस तारीख पर हाजिर होने मे उपेक्षा की या उससे इंकार किया तो आपको हाजिर होने को विवश करने के लिए वारन्ट जारी किया जाएगा।

तारीख.....

हस्ताक्षर

(न्यायालय की मुद्रा)

EXAMINATION OF ACCUSED NO. .....

(Code of Criminal Procedure 1898, Section 364)

My name is .....Son of.....

Aged.....(Courts estimate of apparent age.....Years)

I am by occupation .....

Address.....

.....

V-157

Cr.J.**(E)**

WARRANT IN SUPERSESSON OF PREVIOUS WARRANT

(The Code of Criminal Procedure, 1898, Section 395, 423 and 439)

IN THE COURT OF :

TO, THE SUPERINTENDENT OF THE :

WHERE as--------------------------------------Son of ------------------------------------

caste----------------------age------------------years,address-------------------------------

----

prisoner in the Jail at-- ------was convicted of -- under Section **of the** on the --------------day of --------------- 20------------------and was sentenced to **--** and whereas the Court of -- as on **Appeal/revision** under the Code of Criminal Procedure, Section ---directed that **the conviction under ------------------------------------ be------------------------------ and that the sentence---**

You, are hereby informed accordingly, and required to give effect the direction of the Superior Court as aforesaid in supersession of the direction contained in the warrant under which you now hold the prisoner and which you will now return to this Court. When the Warrant has been fully executed, you are to return it to this Court with an endorsement under signature certifying the manner in which the sentence has been executed.

Dated the day of

(Seal) **Magistrate**

V-158
Cr. J

कैद की सजा होने पर जेलखाने में भेजने का वारंट
(क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन् दफा 383)

अदालत जनाब.....

बनाम सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेल.....

जोकि.....वल्द.....

उमर ..... जाति .....यह आदमी मेरे सामने के जुर्म के जिसकी कि सजा .....में मुकर्रर की गई है, गुनहगार ठहराया गया है और उसे .....की मियाद के लिये .....कैद और रूपया .....का जुरमाना (और जुरमाना की रकम उपर कही हुई मियाद के अंदर वसूल न हो तो और ..... की मियाद .....कैद) की सजा हुई है।

इसलिये इस तहरीर के जरिये तुम्हें हुक्म होता है कि मुजरिम मजकूर को इस वारंट के साथ जेलखाने मजकूर में अपनी हिरासत में लेकर वहां उपर लिखी हुई सजा की तामील कानून के अनूसार करो।

अगर जुरमाना मजकूर या उसका कोई हिस्सा बीच में वसूल * या दाखिल हो जाय तो वह कैद की सजा, जोकि जुरमाना अदा न करने की हालत में दी गई हो, इंडियन पीनल कोड की दफा 68 और 69 की तजबीज के मुताबिक खतम हो जायगी। सजा की तामीली पूरी तौर से हो जाने के बाद उसकी तामीली किस तरह की गई, इसकी दस्तखती रिपोर्ट इस वारंट पर लिखकर वारन्ट इस अदालत मे वापिस भेज दो।

आज तारीख ....माह................सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी
के पूरे दस्तखत

(मोहर)

जूरमाने की रकम वसूल होने पर खजाने में जमा करनी चाहिये।

किमिनिल प्रोसिजर कोड की दफा 384 के अनुसार जेलखाने मे भेजने का वारंट की रिपोर्ट का नमुना

श्र ।प्स- म्छक्लैम्डम्छै

Number in District Jail... Number in Central Jail... Name.. Sentence... Date of Sentence.. Date of Release..	मुकदमें के सबूत की बुनियादी पर कैदी का साधारण चाल–चलन (देखो कि सक्यूं. 1–22)	किंस्म गुनहगार वजुहात के साथ बन्दी या दीगार गुनहगार (देखो कि. सक्यूं. 1.32 जिन्हें ताजिन्दगी कालेपानी की सजा हुई तो ऐसे मुलजिमों के बारे में कि सक्यूं. 1–33 भी देखों)	जुर्म का मुख्तसर खुलासा
......................................Jailor ....Jail Transferred to ....Central Jail Remission Earned till the date............................... equal to ....Months......................Days ....Superintendent ....Jail			
Received ....Jail on........................ Warrant checked by ....Assistant Jailor Released on .... Remission earned .... Superintendent .... Superintendent of	List of Property (Paragraph 378 of the Jail Manual)		
Dated..........200	Jail		

* Appeal Expiry remission payment of fine तारीख.....

माह.....सन् 20

अदालत के मुख्य अधिकारी के
पूरे दस्तखत